

मध्यकालीन भारत की आर्थिक जीवनशैली पर एक अध्ययन

अमित कुमार

इतिहास विभाग (UGC NET), महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा, भारत

सारांश

मध्यकालीन आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार कृषि रहा है। जनसंख्या का अधिकांश भाग ग्रामीण होने की वजह से कृषि को प्रमुख महत्त्व प्रदान किया गया। क्योंकि अर्थव्यवस्था किसी भी समाज की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता होती है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था व भू-राजस्व कर जोकि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत होती है। यहाँ पर हम दिल्ली सल्तन्त से लेकर मुगलकाल प्रारंभिक राजस्व व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। भारत वर्ष के पास हमेशा ही कृषि का एक बड़ा भू-भाग रहा है। इब्नबतूता द्वारा ऐसी साफ पुष्टि की जाती है। बड़ी संख्या में पशुधन थे, यह पशु भी आय का प्रमुख स्रोत रहा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चराई कर लगाया जाना, इस पर इस बात का प्रमाण है कि पशु-पालन से भी आप बड़ी मात्रा में होती थी। पशुओं के गोबर की खाद का प्रयोग भी कृषि में किया गया होगा, इसका अनुमान सहजरूप से लगाया जा सकता है। अलाउद्दीन ने भू-राजस्व का 50 प्रतिशत कर निर्धारण किया फिर भी किसानों द्वारा विद्रोह नहीं हुआ। इससे साफ पता चलता है कि किसानों की स्थिति अच्छी रही होगी। फिरोज तुगलक द्वारा सिंचाई को बढ़ावा देना भी कृषि को प्रोत्साहन की ही एक पहल रही होगी। मुगलों के समय भी भू-राजस्व का प्रमुख योगदान रहा है। यह भूमि पर कर ना होकर उपज या उत्पादन पर कर होता था। आइन-ए-अकबरी के अन्दर वर्णन आता है कि भू-राजस्व द्वारा दिए जाने वाले सरंक्षण व न्याय व्यवस्था के बदले लिया जाने वाला सम्प्रभुता शुल्क था। एतमाद खाँ ने 1563 ई० में एक प्रयोग किया, 1564 ई० में मुजफ्फर खाँ के अधीन, 1571 ई० में पुनः मुजफ्फर खाँ उसके साथ टोडरमल ने किया।

मूल शब्द: सल्तन्तकालीन भूमि व्यवस्था, भू-राजस्व संग्रह पद्धतियाँ, कृषक वर्ग

अकबर द्वारा 1573 ई० में करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। इसका मुख्य कार्य एक करोड़ के दाम की वसूल करना था। कुल 182 करोड़ी नामक अधिकारी नियुक्त किए गए थे। टोडरमल द्वारा भूमिमाप की विधि का प्रयोग किए गए थे। टोडरमल द्वारा भूमिमाप की विधि का प्रयोग किया गया था। राजा टोडरमल द्वारा भू-राजस्व बन्दोबस्त, जिसे जब्ती-प्रणाली या आश्न-ए-दहसाला के नाम से भी जाना जाता है। टोडरमल इसके प्रणेता था। इस प्रणाली के द्वारा अदायगी नकद रूप में करनी होती थी। भूमिमाप की विधियों में गज-ए-सिकन्दरी (39 अंगुल या 32 इंच) को अपनाया गया। अकबर के समय इलाही गज (41 अंगुल या 33 इंच) का प्रयोग हुआ।

सल्तन्तकालीन भूमि व्यवस्था

इस व्यवस्था को गहनता से अध्ययन किया जाता है तो पाते हैं कि यह व्यवस्था मुस्लिम विचारधारा व पूर्व प्रचलित देशी परम्पराओं का संयोग रहा है। तुर्कों द्वारा इस्लामी अर्थ व्यवस्था संबंधी सिद्धांत को अपनाया गया है। बगदाद का प्रमुख काजी अबू-याकूब द्वारा लिखित "किताब-उल-खराज" में इस व्यवस्था का उल्लेख किया है।

सल्तन्त काल में भूमि निम्न भागों में विभाजित थी- इक्ता, खालसा, मिल्क, वक्फ, ईनाम आदि। मोरलैण्ड ने इस प्रकार की भूमि को अनुदान के रूप में प्रस्तुत किया है।

सल्तन्तकाल की भूमि को दो भागों में बांटा जा सकता है। खराज भूमि, व मवास भूमि। खराज भूमि वह थी जिससे भू-राजस्व नियमित रहा था, मवास भूमि पर ऐसा नहीं था। अतः वहाँ पर सल्तन्त की सेना सरैआम लूट मचाती थी।

भू-राजस्व संग्रह पद्धतियाँ

1. खेत बँटाई- खड़ी फसल पर हिस्सा।
2. लंक बँटाई- फसल कटने के बाद हिस्सा।
3. रास बँटाई- भूसा अलग करके, बाद में हिस्सा।

क्रनकूत- इसमें अनुमान के आधार पर राज्य का हिस्सा मसाहत- भूमि माप की पद्धति, अलाउद्दीन द्वारा प्रयोग अलाउद्दीन ने मध्यस्थों को समाप्त किया और किसानों से सीधा संपर्क किया, जिससे किसानों का शोषण हुआ, किसानों द्वारा राजस्व, राजस्व अधिकारियों द्वारा इक्टा किया जाने लगा। उनको उम्माल, नवसिदगान, मुहसिलान, हक-ए-खूती व किस्मत-ए-खूती का अन्त हुआ। अलाउद्दीन ने करो को निर्धारण करते समय नम्र तथा इक्टा करते समय गम स्वभाव का प्रयोग किया, ठीक इसके विपरीत ग्यासुद्दीन ने उदारता की नीति का पालन किया। बरनी ने इसे रस्मानियम या मध्यपंथ की नीति कहा है। मोहम्मद तुगलक द्वारा कृषि ऋण प्रदान किया गया, जिसे सोनधर कहा गया है। तकाबी शब्द भी प्रयोग हुआ।

ठीक इसके साथ जब हम मुगल प्रणाली को देखते हैं तो पाते हैं कि सल्तन्त के विपरीत मुगलों ने फसल को मध्य नजर ना करते हुए भूमि का वर्गीकरण को महत्त्व दिया था, जो इस प्रकार था-

पोलज- प्रतिवर्ष खेती होती थी।

परती- एक वर्ष के अन्तराल पर खेती।

बंजर- खेती योग्य नहीं।

अब राजस्व संग्रहण की बात आती है तो हम पाते हैं कि जितना शोषण पहले देखा गया, उतना मुगल के दौरान नहीं रह गया था। यहाँ पर जो वसूली का अधिकार रखते थे, उनको वंशानुगत अधिकार प्राप्त था। लेकिन वे मालिक वे भी नहीं थे। यह केवल उनका दावा मात्र ही था। उनको यह कार्य करने का भू-राजस्व का 10 प्रतिशत प्राप्त हो जाता था। कई बार यह कमीशन 10 प्रतिशत से बढ़कर 25 प्रतिशत तक देखा गया था। आइन ए अकबरी में वर्णन है कि जमीदारों की सेना में 40 लाख से अधिक सिपाही थे, हजारों की संख्या में नाव थे। उनको राजा, राव, रावत की संज्ञा प्राप्त थी। चौधरी भी परगने का अधिकारी होता था।

अकाल के दौरान मुगल समय में काफी रियायत भी प्रदान की जाती थी। जैसे 1630-32 में दक्कन व गुजरात में एक भयानक अकाल पड़ा था, इसी कारण खालिसा भूमि के भू-राजस्व के 70 लाख रुपये माफ कर दिए गए। शाहजहाँ द्वारा सिंचाई की सुविधा के लिए 98 मील लम्बी रावी नहर को लाहौर तक बनाया। जिसको फँज-ए-नहर कहा गया है। नहर-ए-साहिब जिसे फिरोज तुगलक द्वारा बनवाया गया था, उसको शाहजहाँ ने ठीक करवाया, उसमें 60 मील और लम्बी करवा दी थी। सिंचाई के लिए व्हील का प्रयोग तथा कुएँ से जल निकालने के लिए लीवर का प्रयोग होता था।

कृषक वर्ग

इस अध्ययन के आधार पर हम पाते हैं कि सल्तन्त काल में भूमि पर स्वामित्व का विशेष महत्त्व नहीं था। इसका कारण यह रहा कि भूमि की मात्रा पूर्ण रूप से मौजूद थी। कृषक कम संख्या में हैं भूमि पर स्वामित्व कुछ ही लोगों का स्वीकार किया गया। बरनी इनके लिए खूत, मुकद्दम व चौधरी शब्द का प्रयोग किया गया है। ये सारे वर्ग किसानों के धनी वर्ग रहे। इनका प्रयोग सुल्तानों द्वारा लगान वसूली के लिए किया गया था। छोटे किसान बलाहार कहलाते थे मुगलकाल में धनी किसानों को उत्तर भारत में खुदकाशत, राजस्थान में घरहुल तथा महाराष्ट्र में मिरासदार कहा गया था।

खुदकाशत वे किसान थे, जिनके पास स्वयं की भूमि होती थी। जबकि पाहीकाशतों के पास हल-बैल तो थे, परंतु स्वयं की जमीन ना थी। ये किसान दूसरों गांवों में जाकर खेती का कार्य करते थे। इसी प्रकार एक किसानों का पक्ष मुजारिपन का रहा इनके पास ना तो स्वयं की जमीन थी, और ना ही साधन। ये किसान बंटाई पर खेती करते थे, या इनाम की भूमि पर खेती करते थे। राजस्थान में इनको क्यारु कहा गया है महाराष्ट्र में अलग नामों की संज्ञा प्राप्त थी।

निष्कर्ष

मध्यकाल के अर्थ के पक्ष में जो अध्ययन सल्तन्त व बादशाहत को एक साथ देखा। उससे आभास होता है कि जो नीव सल्तन्त द्वारा डाली गई, उसका प्रभाव मुगलों तक भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। सुल्तानों द्वारा एक बड़े भू-भाग पर नियमानुसार प्रणाली लागू करके उसे राज्य की आय का निर्धारण करना किसी भी चुनौती से कम नहीं था। प्रमुख सुल्तानों ने मध्य स्तर की नियमावली से बड़े ही सुलभ तरीके से किसानों की भूमिका को भी अपनी दृष्टि बनाए रखा। ठीक उसी प्रकार मुगलों ने भी राजस्व को राज्य की आय का प्रमुख स्रोत बनाया। जो एक शासन के लिए महत्त्वपूर्ण होता है। इन्होंने जमीन की उपजाऊ क्षमता के लिए भू-राजस्व निर्धारण किया था। दरों का निर्धारण तथा अकाल के दौरान राहत का भी ध्यान रखा जाता था। किसानों का कर माफी द्वारा व अन्य सहायता से सहज बनाए रखने का पूरा प्रयास किया जाता था। इस प्रकार से हम पाते हैं कि सल्तन्त व मुगलों के समय में राजस्व, राज्य की प्रमुख आय रही।

संदर्भ सूची

1. इतिहास- मध्यकाल भारत- सल्तन्तकालीन आर्थिक व्यवस्था पृ0-76
2. हरिश्चन्द्र- मध्यकालीन भारत पृ0-42
3. वही- पृ0-43
4. सल्तन्त काल का प्रशासन- भारतकोष, ज्ञान का हिन्दी महासागर पृ0-90
5. एस.के. पांडे -मध्यकालीन भारत पृ0-87
6. हरीश चंद्र वर्मा -मध्यकालीन भारत पृ0-21